राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक/एमजीनरेगा/सामा.अंके./आईईसी–प्रशिक्षण/विज्ञप्ति/2018–19/ 594 दिनांक : 25/5/19

–:: विज्ञप्ति ::–

सामाजिक अंकेक्षण के लिए "ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों" के चयन हेतु आवेदन आमंत्रण विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक, निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 61 (24) ग्रावि/म.न./नि.सा.अ./2019–20/799–811 दिनांक 20.05.2019 की पालना में **महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2019–20 के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम** हेतु ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन योग्यताधारी व्यक्तियों से नीचे अंकित तिथि तक आमंत्रित किये जाते है :–

1. **ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, मानदेय 325/– प्रति दिवस जॉब कार्ड के आधार पर।**
   क. स्नातक या समकक्ष परीक्षा, आयु :– 21 से 65 वर्ष।
   ख. अनुभव – प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठन (भू.पू. सैनिक कल्याण सोसायटी, पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी या अन्य संगठन से ऐसे व्यक्ति जो जनता के अधिकारों के लिये कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखते हो, सेवानिवृत केन्द्र, राज्य, बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसायटी के सदस्यों के लिये 5 वर्ष का अनुभव आवष्यक)
2. **ग्राम संसाधन व्यक्ति, मानदेय 225/– प्रति दिवस जॉब कार्ड के आधार पर।**
   क. शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा (12वीं पास या स्नातक को वरीयता), आयु 21 से 65 वर्ष
   ख. अनुभव :– प्राथमिकी पणधारी, सिविल सोसायटी, (भू.पू. सैनिक, पेशनर्स या अन्य संगठन से संबंधित व्यक्ति जो जनता के अधिकारों के लिये कार्य करने का ज्ञान एव अनुभव रखते हो)

चयनित संसाधन व्यक्तियों को नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण पश्चात गृह पंचायत को छोडकर अन्य ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य करना होगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति से एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर दिनांक 14-6-2019 तक जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र वेबसाईट www.pali.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है। **पूर्व में अंकेक्षण कार्य कर चुके ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएंगी।**

विस्तृत जानकारी के लिए पंचायत समिति/जिला परिषद (एमजीनरेगा) कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

(हरिराम मीना)
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, पाली

Surendra\E\
E:\Surendar\social audit 17-18.doc